दोनेश राजपूत और अन्य

बनाम

प्रदीप कुमार शुक्ला और अन्य

आई.ए. संख्या 4-5/2013; आई.ए. संख्या 5-6/2014

इन

अवमानना याचिका (सी) संख्या 269/2012

इन

एसएलपी (सी) संख्या 20558/2009

23 सितंबर, 2014

[फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और शिव कीर्ति सिंह, जेजे]

उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट सेवा नियम, 1980: *नियम* 15, 16 - *नियुक्ति - फार्मासिस्ट का* पद - संतोष *कुमार* मिश्रा *मामले में पारित* निर्देश *कि फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिए लाभ समान रूप से नियुक्त व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए* - इसका तात्पर्य यह था कि फार्मासिस्ट के पद को भरने के लिए आमंत्रित विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देने वालों पर नियमों के नियम 14 और 15 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ही विचार किया जाना था - *प्रासंगिक नियमों और विज्ञापन में निहित आवश्यकताओं का* पालन *किए बिना, किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है - यदि उन्होंने उपयुक्त आवेदन दाखिल* करके *उक्त विज्ञापन का जवाब नहीं दिया था, तो उन्हें बाद में यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वे सभी समान रूप से रखे गए थे और इसलिए, राज्य सरकार को उन्हें समान रूप से रखे गए अभ्यर्थियों के रूप में मानना चाहिए।*

न्यायालय ने आईएएस और अवमानना याचिकाओं को निस्तारित करते हुए, अभिनिर्धारित किया

1. प्रमुख सचिव, विधि द्वारा जारी पत्र दिनांक 29.4.2013 में एक सारणीबद्ध विवरण दिखाया गया था जिसमें राज्य के विभाजन के बाद वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य में फार्मासिस्टों के पदों की कुल संख्या, 1998 से 2013 तक कुल स्वीकृत पद, राज्य के विभाजन के बाद वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य में फार्मासिस्ट जिन कुल पदों पर काम कर रहे थे, वर्ष 1998 से 2013 तक पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप रिक्त पदों की संख्या, राज्य में फार्मासिस्टों के काम करने वाले पदों की वास्तविक संख्या, नव नियुक्त फार्मासिस्टों की संख्या, उन पदों की कुल संख्या, जिन पर फार्मासिस्ट वर्ष 2013 तक काम कर रहे थे और उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या का खुलासा किया गया था। विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रासंगिक डेटा प्रस्तुत करने के बाद, पत्र दिनांक 27.9.2013 में कहा गया है कि रिक्त पदों की कुल संख्या 950 थी। राज्य सरकार द्वारा तत्काल आई.ए. दायर कर प्रमुख सचिव, विधि को अपने आदेश दिनांक 27.9.2013 को वापस लेने और फार्मासिस्ट के पद के लिए उपलब्ध रिक्तियों की सही संख्या घोषित करने के लिए उचित आदेश पारित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी क्योंकि प्रमुख सचिव की दिनांक 27.9.2013 की रिपोर्ट में रिक्तियों की संख्या 950 थी। सही आंकड़े प्रतिबिंबित नहीं किए गए क्योंकि उक्त आंकड़े प्रमुख सचिव द्वारा तत्कालीन निदेशक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निकाले गए थे, जो मुख्यालय पर उपलब्ध मिलान जानकारी के साथ सभी जिलों से विभाग में रिक्तियों की कुल संख्या एकत्र करने में विफल रहे थे और इसलिए, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी। यह भी कहा गया था कि प्रमुख सचिव को गलत जानकारी देने के लिए उक्त निदेशक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य वैध कारणों के साथ आगे आया कि प्रमुख सचिव की रिपोर्ट में उल्लिखित रिक्तियों की संख्या सही स्थिति को क्यों नहीं दर्शाती है, इसलिए राज्य को

उपलब्ध रिक्तियों को सत्यापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस तरह की अनुमति देने से इच्छुक आवेदकों को भी लाभ होगा जिनके लिए संतोष कुमार मिश्रा मामले में इस न्यायालय के फैसले में लाभ प्रदान किया गया है। इसलिए, प्रमुख सचिव को अपने आदेश दिनांक 27.9.2013 को वापस लेने का निर्देश दिया जाता है, जहां तक यह रिक्तियों की संख्या के निर्धारण से संबंधित है। [पैराज 11,16 से 19] [630-एफ-एच; 631-ए, 8, ई-एच]

2. एक अन्य आई.ए. में, अवमानना याचिका में पारित आदेश दिनांक 15.7.2014 के स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए प्रार्थना की गयी थी जिसमें कहा गया है कि मौजूदा रिक्तियों को राज्य सरकार द्वारा उन अभ्यर्थियों से भरा जाएगा जिनके आवेदन पत्र वर्ष 2007 के विज्ञापन के अनुसार विभाग द्वारा प्राप्त किए गए थे और जो पात्र पाए गए थे। उक्त रिपोर्ट दिनांक 29.4.2013 के आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत की गई, जिसमें विभिन्न अवमानना याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर विचार करते हुए, जिन्हें दिनांक 29.4.2013 के आदेश में संदर्भित किया गया था, उन याचिकाकर्ताओं को प्रमुख सचिव के समक्ष उपस्थित होने और अपने विवादों को हल करने के लिए प्रमुख सचिव को आगे के निर्देश के साथ अपने दावे बताने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा यह बताया गया कि प्रमुख सचिव के अनुसार, अभ्यर्थियों की संख्या 360 थी, लेकिन जब शिकायतों की जांच की गई, तो यह प्रकाश में आया कि उनमें से कई व्यक्तियों ने कभी आवेदन ही नहीं किया तथा कई जिन अन्य लोगों ने आवेदन करने का दावा किया था, सत्यापन में पाया गया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई आवेदन ही नहीं था। [पैरा 20,21] [632-सी-डी, एफ-एच; 633-ए]

3. जब इस न्यायालय ने संतोष कुमार मिश्रा में अभिनिर्धारित किया कि समान रूप से नियुक्त व्यक्तियों को लाभ दिया जाना चाहिए, जिन्हें समायोजित किया जाना

था, तो इसका वास्तव में यह कहना था कि जिन लोगों ने 12.11.2007 को किए गए विज्ञापन का जवाब दिया, जिसके द्वारा फार्मासिस्ट के 765 रिक्तियों के पद को भरने के लिए आवेदन बुलाए गए थे, उन पर केवल 1980 के नियमों के नियम 14 और 15 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके विचार किया जाना था। निश्चित रूप से, प्रासंगिक नियमों, अर्थात् 14 और 15 का पालन किए बिना और विज्ञापन दिनांक 12.11.2007 में निहित आवश्यकताओं की अनदेखी किए बिना, किसी भी अभ्यर्थी को फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति को खुद को समान स्थिति में होने का दावा करने के लिए, मुख्य रूप से उन्हें विज्ञापन के जवाब में आवेदन करना चाहिए था। यदि उन्होंने उपयुक्त आवेदन दाखिल करके उक्त विज्ञापन का जवाब नहीं दिया था, तो उन्हें बाद में यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वे सभी समान रूप से रखे गए थे और इसलिए, उत्तर प्रदेश राज्य को उन्हें फार्मासिस्ट के पद के लिए विचार किए जाने के लिए एसएलपी में निजी प्रत्यर्थी की तरह समान रूप से रखे गए अभ्यर्थियों के रूप में मानना चाहिए, केवल इसलिए कि वे 1998 से 2002 के कुछ बैचों से संबंधित थे। इसलिए, प्रमुख सचिव के समक्ष अपना दावा पेश करने वाले 360 उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार की ओर से किए गए इस तरह के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रमुख सचिव ने अब अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.9.2013 में बताया कि 360 अभ्यर्थियों में से कोई भी आवेदक नहीं था, इसलिए उन्हें संतोष कुमार मिश्रा के समान स्थान पर रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। नतीजतन, अब उठाए गए उनके दावे को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न तो प्रमुख सचिव दिनांक 27.09.2013 की रिपोर्ट में उल्लिखित उपरोक्त 360 व्यक्ति या कोई अन्य अभ्यर्थी जिसने 1998 से 2002 के बैच का सदस्य होने का दावा करने वाले विज्ञापन के जवाब में आवेदन नहीं किया था, वह संतोष कुमार मिश्रा में निजी प्रत्यर्थी के बराबर अपने दावे पर विचार करने की मांग

कर सकता है ताकि उक्त निर्णय में दिए गए लाभ को प्रदान करने के लिए उसके दावे पर विचार किया जा सके। 239-ए-एफ]

4. वर्ष 2002 के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दायर अवमानना याचिका में, यह आरोप लगाया गया था कि संतोष कुमार मिश्र में इस न्यायालय के फैसले के बावजूद, साथ ही साथ, विभिन्न अवमानना याचिकाओं में पारित आदेशों में दिनांक 29.04.2013 आदेश सहित, प्रत्यर्थी राज्य रिक्तियों को भरने में विफल रहा है और इसलिए, संतोष कुमार मिश्रा में निर्णय की अवमानना के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आई.ए. में पारित आदेश के आलोक में, अवमानना याचिका में की गई अवमानना का आरोप जीवित नहीं रह सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य को संतोष कुमार मिश्रा के फैसले के अनुसार रिक्तियों का पता लगाने और शेष रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 28 से 30] 640-ए-डी]

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम संतोष कुमार मिश्रा और अन्य 2010 (9) *एससीसी* 52: 2010 (9) एससीआर 942- संदर्भित।

मामला कानून संदर्भः

2010 (9) एससीआर 942	संदर्भित	पैराज 3, 4, 7, 8, 14, 18 22, 23, 26, 27, 28, 30

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: आई.ए. संख्या 4-5/2013, आई.ए संख्या 5-6/2014

अंतर्गत

अवमानना याचिका (सी) संख्या 269/2012

अंतर्गत

एसएलपी (सी) संख्या 20558/2009

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा एसए संख्या 388/2008 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 04.05.2009 से उत्पन्न।

साथ में

आई.ए. संख्या 1 और 2 इन अवमानना याचिका (सी) संख्या 115/2014 इन एसएलपी (सी) संख्या 20558/2009

वी. गिरि, डॉ. राजीव धवन, इरशाद अहमद, एएएजी, मुकेश के. गिरि, गुन्नम वेंकटेश्वर राव, वेंकट रघुवंशी, सिद्धार्थ कृष्ण द्विवेदी, सौरभ उपाध्याय, डॉ. एस.के.वर्मा, अलदानीश रीन, शमश्रनीश रीन, महेराविश रीन, अभिषेक कुमार, विवेक विश्नोई, पवन कुमार शुक्ला, यश पाल ढींगरा, पंकज कुमार सिंह, के.एल. जनजानी, आशुतोष लाल, डॉ. कैलाश चंद, यतीश मोहन, के.एन.त्रिपाठी, उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति.फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, इनके द्वारा दिया गया -

1. इस मामले के तथ्यों पर ध्यान देने से पहले, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम केवल में अवमानना याचिका (सी) संख्या 269/2012 में उपरोक्त आई.ए.संख्या 4-5/2013 और आई.ए. संख्या 5/2014 और अवमानना याचिका (सी) संख्या 115/2014 में आई.ए. संख्या 1-2 में आदेश पारित करने का प्रस्ताव करते हैं। अन्य सभी संबंधित आवेदनों और अवमानना याचिकाओं को जब 14.2.2014 को सूचीबद्ध किया गया, तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

> "I. <u>विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 20558/2009 और अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 115/2014 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 269/2014 में आई.ए.संख्या 5 (निर्देश के लिए)</u>।

नोटिस जारी हो।

वर्तमान के लिए कथित अवमानकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति को हटा दिया गया है।

25 मार्च, 2014 को अंतिम निस्तारण के लिए मामलों को सूचीबद्ध करें।

<u>शेष मामले</u>

विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 20558/2009 और अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 115/2014 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 269/2012 में आई.ए. संख्या 5 में निर्णय के बाद आदेशों के लिए आवेदनों के साथ सभी अवमानना याचिकाओं को सूचीबद्ध करें।"

2. इसलिए, पहली बार में, हम अवमानना याचिका (सी) संख्या 269/2012 में आई.ए. संख्या 5/2014 को अवमानना याचिका (सी) संख्या 115/2014 और आई.ए. संख्या 1-2 के साथ निस्तारित करना चाहते हैं। वह अवमानना याचिका और उसके बाद, अन्य संबंधित आवेदनों के साथ-साथ अवमानना याचिकाओं में उचित आदेश पारित करें। निम्नलिखित प्रार्थना के साथ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आई.ए.संख्या 5/2014 दायर किया गया हैः

"प्रमुख सचिव, विधि, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करें कि वे अपने आदेश दिनांक 27.9.2013 को वापस लें और सभी पक्षों को नया नोटिस देने के बाद आवेदकों (उत्तर प्रदेश राज्य) को सुनें, और एक उचित आदेश पारित करें/ फार्मासिस्ट पद पर उपलब्ध रिक्तियों की संख्या घोषित करें;"

3. आवेदकों की प्रार्थना पर विचार करने के लिए, इस मुकदमे की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त रूप से पता लगाना आवश्यक है जो अंततः उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम संतोष कुमार मिश्रा और अन्य में 2010 (9) एससीसी 52 में प्रकाशित इस न्यायालय के एक निर्णय में समाप्त हुआ। यह मुद्दा उत्तर प्रदेश राज्य में फार्मासिस्ट के पद पर चयन और नियुक्ति से संबंधित है, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट सेवा नियम, 1980 (इसके बाद "1980 के नियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित था। 1980 के उपरोक्त नियमों को समूह 'सी' पदों की सीधी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश प्रक्रिया (लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर) नियम, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जैसा कि समूह 'सी' पदों की सीधी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश प्रक्रिया (लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर) (पहला संशोधन) नियम, 2003 द्वारा संशोधित किया गया था। 12.11.2007 दिनांकित एक विज्ञापन था जिसमें 766 रिक्तियों को फार्मेसी डिप्लोमा धारकों द्वारा भरने के लिए विज्ञापित किया गया था। वर्ष 2002 तक ऐसे डिप्लोमा धारकों द्वारा दावा किया गया था कि उनकी नियुक्ति 1980 के नियमों के तहत की जानी थी, यहां तक कि वर्ष 2007 में विज्ञापित 766 रिक्तियों के संबंध में भी। यह मुद्दा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष गया और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से व्यथित होने पर डिप्लोमा धारकों ने इसे खण्ड पीठ के समक्ष अपील के माध्यम से लिया। खण्ड पीठ ने इस मुद्दे को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत कियाः

"9. XXXXXXXX

तत्काल मामले में एक विचित्र और तीखी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां यह मामला नहीं है कि सेवा में उच्च पद का कोई आकांक्षी पदोन्नति के लिए पात्र होने पर या उस तारीख को सीधी नियुक्ति

चाहने वाला व्यक्ति जब उस तरह की पदोन्नति या नियुक्ति के लिए विचार किया जाना है, तो वह अपने लाभ के लिए, पिछली प्रथा को देखते हुए, एक विशेष तरीके से भर्ती के नियम की व्याख्या करना चाहता है, लेकिन यहां एक ऐसा मामला है जहां अपीलार्थियों को नियम को उनके नुकसान के लिए व्याख्या करके पहले प्रासंगिक समय पर उनकी नियुक्ति पर विचार करने से बाहर रखा गया था, और यह विश्वास दिलाया गया था कि इसी तरह उनकी अभ्यर्थिता पर बाद में विचार किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परिपत्र और निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन जब उनकी बारी आई, तो वे फिर से नियुक्त हुए।"

4. संतोष कुमार मिश्रा (ऊपर) में दिए गए निर्णय में खण्ड पीठ की उपरोक्त **टिप्पणियों को ध्यान में** रखते हुए इस न्यायालय ने पैराग्राफ 41 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"41. यह राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर लिए गए एक निष्कर्ष के कारण है कि निजी प्रत्यर्थी को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्ति के लिए विचार के क्षेत्र से बाहर रखा गया था ताकि उन लोगों को समायोजित किया जा सके जिन्होंने पहले अपना डिप्लोमा प्राप्त किया था। उस समय राज्य सरकार द्वारा डिप्लोमा धारकों को उनके संबंधित वर्षों के लिए बैचों में समायोजित करने के लिए लिया गया निर्णय निस्संदेह बाद के चरण में बंद किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों के नुकसान के लिए नहीं जो उन्हीं नियमों के आधार पर नियुक्त होने के अवसर से वंचित थे। हमारे विचार में, वही निर्णय जो निजी प्रत्यर्थी को नियुक्त होने से वंचित करने के लिए लिया गया

था, अब खारिज नहीं किया जा सकता है, जिससे एक बार फिर उन्हें नियुक्त होने से रोका जा सके, जिससे बाद के चरण में योग्यता चयन की अवधारणा शुरू हो सके। <u>निजी प्रत्यर्थी और समान रूप से स्थित व्यक्तियों को समायोजित करने के बाद इसे पेश किया जा सकता है।"</u>

(रेखांकन हमारा है)

5. इसलिए, ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णय के बाद, दो मुद्दे विचार के लिए सामने आए, जो फार्मासिस्ट के पद के लिए रिक्तियों की संख्या से संबंधित थे और वे सभी अभ्यर्थी कौन हैं जिन्हें समान रूप से रखे गए व्यक्तियों के रूप में माना जाना था जैसे कि निजी प्रत्यर्थी जैसा कि उपरोक्त पैरा 41 में उल्लेख किया गया है, जिन्हें उपलब्ध रिक्तियों में समायोजित किया जाना था। एसएलपी(सी) संख्या 20558/2009 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 20558/2009 के साथ-साथ एसएलपी (सी) संख्या 20558/2009 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 269/2012 सहित विभिन्न अन्य अवमानना याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा उक्त मुद्दे की जांच की गई और उक्त आदेश दिनांक 27.11.2012 में अवमानना याचिकाकर्ताओं की शिकायत का संक्षिप्त संदर्भ देने के बाद, इसे निम्नानुसार नोट किया गयाः

"हमारे उपरोक्त निर्णय में निहित निर्देश बिल्कुल स्पष्ट थे कि हम उन अभ्यर्थियों के साथ एक ही समूह के रूप में व्यवहार कर रहे थे, जिन्होंने 2002 से पहले फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त किया था, और यह भी कि हमारा इरादा था कि हमारे सामने याचिकाकर्ताओं को जो लाभ दिए जाने थे, वे भी समान रूप से स्थित अभ्यर्थियों को दिए जाने थे।"

(रेखांकित हमारा है)

6. इसके बाद, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से इस वचन पर ध्यान देते हुए, अंततः इसे निम्नानुसार कहा गयाः

> " ..... श्री इरशाद अहमद ने यह भी प्रस्तुत किया है कि न्यायालय को दिए गए उक्त वचन को उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए तारीख से दो महीने के भीतर विधिवत लागू किया जाएगा। हालाँकि, इसकी व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जानी चाहिए कि जिन्हें अब समायोजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें उन अभ्यर्थियों से पहले समायोजित नहीं किया जाएगा जो 2002 की योजना के आधार पर विचार के क्षेत्र में आते हैं। सूची का दूसरा भाग, जो राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया है, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है।
>
> सभी अवमानना याचिकाओं का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।"

7. उक्त आदेश दिनांक 27.11.2012 के पारित होने के बाद, कुछ अन्य अवमानना याचिकाओं के साथ अवमानना याचिका(सी) संख्या 347/2010 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 73/2013 दायर की गई। उन सभी बाद की अवमानना याचिकाओं का निस्तारण दिनांक 29.4.2013 के एक सामान्य आदेश द्वारा किया गया था। वास्तव में, यह कहा जाना चाहिए कि उक्त आदेश के तहत, दो निर्देश जारी किए गए थे, जो हमारी सुविचारित राय में, पूरे मुद्दे को पकड़ लेंगे और उन निर्देशों का पालन करने के लिए जो भी आगे की कवायद की जानी है, उसे जारी किया जा सकता है ताकि विवाद को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। इस न्यायालय द्वारा संतोष कुमार मिश्रा (उपरोक्त) मामले में इस पर विचार किया गया और इसका समाधान किया गया।

8. संतोष कुमार मिश्रा (ऊपर) में दिए गए निर्णय की प्रकृति का उल्लेख करने और विभिन्न अवमानना याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय के दिनांक 29.4.2013 के आदेश में, पैराग्राफ 8 से 12 के तहत कहा गया थाः

> "8. चूंकि, हमारे लिए उक्त विवाद का निर्णय करना संभव नहीं है, इसलिए हम राज्य सरकार में विधि सचिव को वर्ष 2002 तक समायोजित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के मुकाबले उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर विचार करने का निर्देश देकर अंतरिम निर्देशों के लिए इन याचिकाओं/आवेदनों का निस्तारण करते हैं। ऐसा करते समय, उन्हें श्री दोनेश राजपूत और अन्य (और आवेदक उदय प्रताप सिंह के मामले में) द्वारा अवमानना याचिका संख्या 269/2012 में किए गए दावों, अवमानना याचिका संख्या 65/2012 में अवमानना याचिका संख्या 75/2013 में आवेदक/याचिकाकर्ता श्री सचिन अग्रवाल के दावों, अवमानना याचिका संख्या 347/2010 में याचिकाकर्ता हरित कुमार द्विवेदी और अन्य के दावों और एसएलपी (सी) संख्या 20774/2009 में अवमानना याचिका संख्या 65/2012 में अवमानना याचिका संख्या 165/2013 में याचिकाकर्ता रविकांत द्विवेदी और अन्य के दावों पर विचार करना चाहिए।
>
> 9. सुनवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए, विधि सचिव के समक्ष, उपर्युक्त मामलों में आवेदकों को विधि सचिव से मिलकर एक समय तय करना होगा जब विवादों को समाधान के लिए उठाया जा सके।

10. एक बार जब राज्य के विधि सचिव द्वारा कोई निर्धारण किया जाता है, तो राज्य, उसके बाद, रिक्तियों को भरने के लिए कार्य करेगा, जैसा कि घोषित किया जा सकता है।

11. इन मामलों की सुनवाई और निस्तारण लंबित होने पर, इस बीच जो रिक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं, उन्हें इस न्यायालय के 3 अगस्त, 2010 के फैसले में बताए गए तरीके से भरा जा सकता है।

12. याचिकाओं/आवेदकों का निस्तारण तदनुसार किया जाता है।"

9. उपरोक्त निर्देश जारी करने से पहले, यह भी ध्यान दिया गया था कि जब उपरोक्त अवमानना याचिकाओं को 15.04.2013 को लिया गया था, हालांकि उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के संबंध में विवाद था, उत्तर प्रदेश राज्य को 695 आवेदकों में से 553 रिक्तियों को भरने की अनुमति दी गई थी, इस शर्त के साथ कि शेष संख्या को बाद के वर्षों में समायोजित किया जाएगा। यह संकेत दिया गया था कि उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के संबंध में अतिरिक्त शपथ पत्र के संबंध में अन्य आपत्तियों पर बाद की तारीख को विचार किया जाएगा और इस तरह अवमानना याचिकाओं को 29.4.2013 को सूचीबद्ध किया गया था। उपरोक्त निर्देश जारी करने से पहले, जैसा कि पैराग्राफ 8 से 12 में निहित है, अवमानना याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए दावे को संदर्भित किया गया था कि 2000 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध थीं और उसके बाद, निर्देश जारी किए गए। पैराग्राफ 8 से 12 में निहित उपरोक्त निर्देशों के आधार पर, राज्य सरकार के विधि सचिव पर यह दायित्व था कि वह उन रिक्तियों की संख्या का पता लगाए जो वर्ष 2002 तक समायोजित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के मुकाबले उपलब्ध हो सकती हैं। वर्ष 2002 तक समायोजित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का पता लगाते हुए, यह निर्देश दिया गया कि उन व्यक्तियों द्वारा किए गए दावे, जिनके नाम पैराग्राफ 8 में संदर्भित किए गए थे, अवमानना याचिका (सी) संख्या

269/2012, अवमानना याचिका (सी) संख्या 75/2013 अवमानना याचिका (सी) संख्या 65/2012, अवमानना याचिका (सी) संख्या 347/2012, अवमानना याचिका (सी) संख्या 165/2013 और एसएलपी (सी) संख्या 20774/2009 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 65/2012, को तय की जाने वाली तारीख पर विधि सचिव से संपर्क करने की अनुमति दी गई थी, जब उनके दावों से संबंधित विवाद को समाधान के लिए लिया जा सकता था।

10. अतः उपरोक्त आदेश दिनांक 29.4.2013 का उद्देश्य रिक्तियों की उपलब्ध संख्या का पता लगाने के दोहरे उद्देश्य को हल करना था, जिसमें एक ओर वर्ष 2002 तक के अभ्यर्थियों को समायोजित किया जा सकता था और दूसरी ओर ऐसे दावेदार जो इस न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर करके थे, जिनके दावों पर विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या वे 'समान रूप से स्थित व्यक्तियों' की श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों में समायोजित होने के लिए कानूनी रूप से पात्र थे, जिन्हें विधि सचिव या अन्य द्वारा पता लगाने और हल करने की आवश्यकता थी।

11. दिनांकित 29.4.2013 के आदेश में उपरोक्त निर्देश के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, विधि द्वारा 27.9.2013 को चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को एक पत्र भेजा गया था। उक्त पत्र में, जो वस्तुतः इस न्यायालय के दिनांक 29.4.2013 के निर्देशों के अनुसार एक रिपोर्ट है, एक सारणीबद्ध विवरण दिखाया गया था जिसमें राज्य के विभाजन के बाद वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य में फार्मासिस्टों के पदों की कुल संख्या, 1998 से 2013 तक कुल स्वीकृत पद, कुल पद जिन पर राज्य के विभाजन के बाद वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य में फार्मासिस्ट काम कर रहे थे, वर्ष 1998 से 2013 तक पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप रिक्त पदों की संख्या, राज्य में फार्मासिस्टों के काम करने वाले पदों की वास्तविक संख्या, नव नियुक्त फार्मासिस्टों की संख्या, उन पदों की

कुल संख्या जिन पर फार्मासिस्ट वर्ष 2013 तक काम कर रहे थे और रिक्त पदों की कुल संख्या। विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रासंगिक डेटा प्रस्तुत करने के बाद, 27.9.2013 दिनांकित पत्र में कहा गया है कि रिक्त पदों की कुल संख्या 950 थी।

12. उक्त पत्र में हालांकि कुछ दावेदारों के साथ हुई बातचीत और उनके द्वारा व्यक्त की गई शिकायतों की प्रकृति का उल्लेख किया गया था, लेकिन उनके अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। इसके बाद, उक्त पत्र दिनांक 27.9.2013 के साथ, प्रमुख सचिव, विधि ने आवेदकों के अभ्यावेदन के साथ-साथ आवेदकों की सूची की एक प्रति संलग्न की।

13. अवमानना याचिका (सी) संख्या 115/2014 में उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक, तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा दायर उत्तर शपथ पत्र में कहा गया है कि प्रमुख सचिव, विधि द्वारा पत्र दिनांक 27.9.2013 के साथ भेजी गई सूची में 360 अभ्यर्थियों के नाम थे और सत्यापन पर यह पता चला कि 360 व्यक्तियों में से कोई भी ऐसे अभ्यर्थी नहीं थे जिन्होंने वर्ष 2007 में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया था। उत्तर शपथ पत्र के पैराग्राफ 8 में, यह कहा गया था कि विधि सचिव द्वारा प्रदान की गई सूची जिसमें इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.4.2013 के अनुपालन में 360 अभ्यर्थी शामिल थे, वे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी आवेदन नहीं किया था या जिन्होंने आवेदन करने का आरोप लगाया था लेकिन उनके आवेदन पत्र अभिलेख पर नहीं थे।

14. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, जब इन मामलों को 15.07.2014 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, तो प्रत्यर्थी को चार सप्ताह के भीतर आई.ए. संख्या 5/2014 पर अपनी आपत्तियां दायर करने के लिए समय देते हुए, यह निर्देश दिया गया था कि जब आवेदन दाखिल करने की तिथि तक 448 रिक्तियां उपलब्ध थीं, तो आई.ए. संख्या 5/2014 में उन आवेदकों के दावों पर विचार किया जा सकता है,

जिनकी संख्या 360 से अधिक बताई गई थी और जो भी नियुक्त होने के योग्य थे, उन्हें संतोष कुमार मिश्रा (उपरोक्त) मामले में इस **न्यायालय के फैसले के** अनुसार नियुक्ति के आवश्यक आदेश जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद ही मुख्य विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता के कहने पर इन आवेदनों को अवमानना याचिका (सी) संख्या 115/2014 के साथ सूचीबद्ध किया गया था, ताकि सही स्थिति का पता लगाया जा सके ताकि उत्तर प्रदेश राज्य को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.7.2014 के अनुसार नियुक्ति के आदेश जारी करने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया जा सके।

15. हमने डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना, जो उन अवमानना याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए, जिन्हें विधि सचिव के सामने उपस्थित होने और अपनी बात रखने की अनुमति दी गई थी और विधि सचिव को विवाद को हल करने का निर्देश दिया गया था। हमने आई.ए. संख्या 1-2/2014 में आवेदकों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि को भी सुना। श्री इरशाद अहमद, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और के.गिरि, विद्वान अधिवक्ता, जो कुछ अवमानना याचिकाकर्ताओं की ओर से भी पेश हुए, जिन्होंने डॉ. राजीव धवन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्तियों के समान होने का दावा किया।

16. उनकी संबंधित दलीलों को स्वीकार करने से पहले, अवमानना याचिका (सी) संख्या 269/2012 में आई.ए. संख्या 5/2014 में निहित प्रार्थना को ध्यान देना आवश्यक होगा। यह आई.ए. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर की गई है और आवेदन में प्रार्थना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, विधि को निर्देश जारी किया जाए कि वे अपने आदेश दिनांक 27.9.2013 को वापस लें और आवेदकों, अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य को सुनें और सभी पक्षों को नया नोटिस देने के बाद, फार्मासिस्ट के पद के

लिए उपलब्ध रिक्तियों की सही संख्या घोषित करने के लिए उचित आदेश पारित करें। उपरोक्त प्रार्थना का समर्थन करने के लिए, आवेदन में कहा गया है कि प्रमुख सचिव, विधि दिनांक 27.9.2013 की रिपोर्ट में रिक्तियों की संख्या 950 पर पहुंची है, जो सही आंकड़ा नहीं दर्शाती है, कि उक्त आंकड़ा प्रमुख सचिव, विधि द्वारा तत्कालीन निदेशक (पैरा-मेडिकल) डॉ. वी.एस. श्रीवास्तव द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आया था, जो मुख्यालय में उपलब्ध मिलान जानकारी के साथ सभी जिलों से विभाग में रिक्तियों की कुल संख्या, साथ ही पदों की मंजूरी के संबंध में सरकार के आदेशों को इकट्ठा करने में विफल रहे, इसलिए इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। यह भी कहा गया कि उक्त निदेशक डॉ. वी.एस. श्रीवास्तव के खिलाफ प्रमुख सचिव, विधि को गलत जानकारी देने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से कार्रवाई की गई है।

17. यह कहा गया था कि जब आवेदनकर्ताओं के अनुरोध के जवाब में दिनांक 27.9.2013 की रिपोर्ट में उल्लिखित रिक्तियों की संख्या में विसंगति को विधि सचिव को बताया गया था, तो प्रमुख सचिव, विधि ने अपने जवाब में आवेदकों को यह कहते हुए सही ढंग से सूचित किया कि चूंकि उन्होंने दिनांक 29.4.2013 के आदेश में इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दिनांक 27.9.2013 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसलिए वह आवेदक-राज्य के अनुरोध का पालन करने के लिए सकारात्मक स्थिति में नहीं थे।

18. ऐसी परिस्थितियों में, प्रथमतः, चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य वैध कारणों के साथ आगे आया है कि प्रमुख सचिव, विधि दिनांक 27.9.2013 की रिपोर्ट में उल्लिखित रिक्तियों की संख्या सही स्थिति को क्यों नहीं दर्शाती है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि आवेदक राज्य को सभी जिलों से विभाग से विवरण मंगाकर, मुख्यालय में उपलब्ध जानकारी के साथ मिलान करके और स्वीकृत पदों की संख्या के संबंध में सरकारी आदेशों पर विचार करने के बाद भी उपलब्ध रिक्तियों को सत्यापित करने की

अनुमति दी जानी चाहिए। इस तरह की अनुमति देने से इच्छुक आवेदकों को भी लाभ होगा जिनके लिए संतोष कुमार मिश्रा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले में लाभ प्रदान किया **गया है।**

19. इसलिए, प्रमुख सचिव, विधि, उत्तर प्रदेश सरकार को अपने दिनांक 27.9.2013 के आदेश को वापस लेने का निर्देश देते हुए, जहां तक यह आवेदक द्वारा इस आवेदन में उल्लिखित कारणों से रिक्तियों की संख्या का पता लगाने से संबंधित है, हम आवेदक को मुख्यालय में उपलब्ध मिलान जानकारी के साथ सत्यापन करने और विभिन्न सरकारी आदेशों के तहत स्वीकृत पदों को ध्यान में रखने के अलावा संबंधित विभाग के सभी जिलों से आवश्यक विवरण एकत्र करने की अनुमति देते हैं और उसके बाद, फार्मासिस्ट के उपलब्ध रिक्त पदों को अंतिम रूप देते हैं। उक्त कार्य आवेदक द्वारा इस आदेश की एक प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने के भीतर शीघ्रता से किया जाएगा।

20. जब हम अवमानना याचिका (सी) संख्या 115/2014 में आई.ए. संख्या 1-2/2014 में प्रार्थना पर आते हैं, प्रार्थना हमारे आदेश दिनांक 15.7.2014 के स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए है, जो अवमानना याचिका (सी) संख्या 115/2014 में पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा रिक्तियों को राज्य सरकार द्वारा उन अभ्यर्थियों से भरा जाएगा जिनके आवेदन पत्र वर्ष 2007 के विज्ञापन के अनुसार विभाग द्वारा प्राप्त किए गए थे और जो पात्र पाए गए थे। हम उक्त अंतर्वर्ती आवेदनों में की गई उक्त प्रार्थना पर विचार करने के लिए कुछ औचित्य पाते हैं। उस उद्देश्य के लिए, संबंधित नियमों, अर्थात् 1980 के नियमों के नियम 14 और 15, को डॉ. राजीव धवन द्वारा की गई प्रस्तुतियों के साथ नोट किया जाना आवश्यक है, जो उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनकी संख्या 360 के रूप में निर्धारित की गई है।

21. उक्त रिपोर्ट हमारे आदेश दिनांक 29.4.2013 के अनुपालन में प्रस्तुत की गई, जिसमें विभिन्न अवमानना याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विचार किया गया था जिन्हें हमारे आदेश दिनांक 29.4.2013 के पैराग्राफ 8 से 12 में संदर्भित किया गया था, हमने उन याचिकाकर्ताओं को प्रमुख सचिव, विधि के समक्ष उपस्थित होने और अपने विवादों को हल करने के लिए प्रमुख सचिव, विधि को आगे के निर्देश के साथ अपने दावे बताने का निर्देश दिया। उक्त निर्देश के अनुपालन में, अब उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 08.7.2014 के उत्तर शपथ पत्र में बताया गया है कि प्रमुख सचिव, विधि के अनुसार, अभ्यर्थियों की संख्या 360 थी, लेकिन जब शिकायतों की जांच की गई, तो यह पता चला कि उनमें से कई व्यक्तियों ने कभी आवेदन नहीं किया और कई अन्य जिन्होंने सत्यापन पर आवेदन करने का दावा किया था, यह पाया गया कि अभिलेख पर ऐसा कोई आवेदन नहीं था। डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ-साथ श्री मुकेश के. गिरि, विद्वान अधिवक्ता, जिन्होंने कुछ अन्य समान पदों वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किया, की दलीलों पर विचार करते समय प्रमुख सचिव, विधि कानून की उपरोक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

22. डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलीलों में तर्क दिया कि एक बार संतोष कुमार मिश्रा (उपरोक्त) के फैसले में निर्देश दिया गया था कि लाभ उन सभी को मिलेगा जिन्हें समान रूप से रखा गया था और जिन्हें समायोजित किया जाना था, जिसे अवमानना याचिका (सी) संख्या 269/2012 में बाद के आदेश में इस न्यायालय के इरादे को स्पष्ट करके मजबूत किया गया था कि 1998 से 2002 के बैच में समान रूप से रखे गए अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, उन व्यक्तियों के साथ अब अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन का तर्क है कि जब उपरोक्त 360 अभ्यर्थी जो वर्ष 1998 से 2002 के बैचों से संबंधित थे, तो फार्मासिस्ट के उपलब्ध

पदों पर नियुक्ति के लिए उनके दावे पर विचार करने के मामले में उनके साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

23. यद्यपि प्रथम शरमाहट में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का ऐसा निवेदन बलपूर्वक और आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन यह कहना होगा कि किसी भी व्यक्ति के समान रूप से रखे गए अभ्यर्थी के रूप में इस तरह के दावे को भी फार्मासिस्ट *के* पदों पर नियुक्ति से संबंधित प्रासंगिक नियम नहीं माना जा सकता है। इस संदर्भ में, नियम 14 और 15 का संदर्भ और विज्ञापन दिनांक 12.11.2007 महत्वपूर्ण है। हमने संतोष कुमार मिश्रा (उपरोक्त) में दिए गए इस न्यायालय के आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए इस मुद्दे का विश्लेषण करने और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बहुत मेहनत की है, ताकि हमारे आदेशों को लागू करते समय दावेदारों या नियुक्ति प्राधिकरण, अर्थात् राज्य के मन में कोई संदेह न हो।

24. नियम 14 और 15 निम्नानुसार हैंः

> "14. रिक्तियों का निर्धारण- निदेशक वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी निर्धारित करेगा। वह रिक्तियों को रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करेगा और प्रमुख समाचार पत्रों में और ऐसे अन्य तरीके से भी उनका विज्ञापन करेगा जो उसे उचित लगे।
>
> 15. सीधी भर्ती के लिए प्रक्रियाः- (1) भर्ती के उद्देश्य से एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें -
>
> 1. निदेशक द्वारा नामित अतिरिक्त निदेशक
>
> 2. संयुक्त निदेशक, फार्मासिस्टों की स्थापना से संबंधित,

3. सचिव राज्य फार्मेसी परिषद

(2) चयन समिति डिप्लोमा परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार योग्यता के क्रम में अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो चयन समिति पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता के क्रम में उनके नामों की व्यवस्था करेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (लेकिन 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची केवल एक वर्ष के लिए वैध रहेगी।

(3) निदेशक संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारियों की सूची से योग्यता के क्रम में आवश्यक संख्या में नामों को अग्रेषित करेगा।"

25. उपरोक्त नियमों के साथ, वर्ष 2007 में किए गए विज्ञापन पर ध्यान देना प्रासंगिक है, अर्थात्, 12.11.2007 जो निम्नानुसार हैः

"दैनिक जागरण दैनिक समाचार पत्र दिनांकित -18.11.2007

महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, यू.पी.

विज्ञापन संः-2/नियुक्ति/2007 दिनांकः -12.11.2007

विज्ञापन जारी करने की तिथिः -12.11.2007

आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथिः -04.12.2007 शाम 5 बजे तक

आवेदन भेजने का स्थानः- चिकित्सा अनुभाग- II, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ

सरकारी आदेश संख्या 1490/4/07-एम-72-2006 दिनांक 11.10.2007 द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में निम्नलिखित अस्थायी पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिये गये प्रावधानों एवं सेवा शर्तों के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सीधी भर्ती प्रक्रिया नियम 2002 एवं संशोधित नियम 2003 एवं संबंधित सेवा नियमावली में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर समूह-ग पदों की सीधी भर्ती के संबंधित संवर्ग का निर्धारित प्रारूप में प्रावधान किया गया है।

क्र. सं.	पद	नियुक्ति अधिकारी का नाम	01 जुलाई 2007 को उम्र	वेतनमान	कुल पद संख्या	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	शैक्षणिक योग्यता
2.	फार्मासिस्ट	दो वर्ष	**18-35 70 00**	**4500**	**765**	**386**	**181**	**15**	**207**	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा और

										राज्य फार्मेसी कौंसिल यूं.पी. में पंजीकरण

ध्यान दें- रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

वरीयता योग्यताः -

1. राज्य सेवा में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।

2. अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

सामान्य निर्देशः -

(i) प्रयोगशाला तकनीशियन, एक्स-रे तकनीशियन और फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए यू.पी. राज्य चिकित्सा संकाय में अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराना आवश्यक है।

(ii) अभ्यर्थियों का चयन विभाग चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा, इस संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। उक्त विषय पर कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन में किसी भी प्रकार की सिफारिश/अनुमोदन को अयोग्य माना जाएगा।

(iii) योग्य अभ्यर्थी का चयन विभागीय चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के आधार पर समर्थ होगा और साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(iv) राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित शैक्षिक योग्यता और तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र। संबंधित पद के लिए यू.पी. परिषद/संकाय का पंजीकरण प्रमाणपत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए और अंतिम अध्ययन किए गए शैक्षणिक संस्थान से प्राचार्य का प्रमाण पत्र लेना चाहिए। अभ्यर्थी को पत्राचार के लिए पता और निर्धारित राशि का टिकट देना होगा।

(v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन किए गए पद का नाम और नाम आवेदन के लिफाफे पर सुपाठ्य पत्र में लिखा जाना चाहिए।

(vi) यू.पी. विकलांग व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सेना के जवान को इससे संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा और अभ्यर्थी द्वारा किया गया दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(vii) विवाहित या अविवाहित का प्रमाण पत्र, विवाहित व्यक्ति के मामले में दोनों में से किसी एक के पति और पत्नी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(viii) साक्षात्कार के समय, अभ्यर्थी को मूल रूप से जाति से संबंधित शिक्षा और तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ix) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी और पूर्व सैनिक की आयु सरकारी आदेश के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(x) चयनित अभ्यर्थियों को प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या राज्य अस्पताल या सरकारी जिला अस्पताल में तैनात किया जाएगा और उन्हें भविष्य में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

(xi) अवांछित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(xii) निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार के लिए अलग से जानकारी दी जाएगी।

(xiii) निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं है तो आवेदन के नीचे निर्धारित प्रारूप पर अभ्यर्थी के सुपाठ्य हस्ताक्षर या आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(xiv) आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा से शाम 5 बजे तक 05.12.2007 द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

(xv) विभाग/कूरियर के तार द्वारा आवेदन भेजने में हुई देरी पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाना चाहिए।

(xvi) केंद्र और राज्य सरकार में कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोक्ता से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजा जाता है तो इसे अभ्यर्थी द्वारा निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

ई एस डी/- महानिदेशक

चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ

उत्तर प्रदेश, लखनऊ "।

26. जब इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि समान रूप से नियुक्त व्यक्तियों को लाभ दिया जाना चाहिए, जिन्हें समायोजित किया जाना था, तो इसका वास्तव में यह कहना था कि जिन लोगों ने 12.11.2007 के विज्ञापन का जवाब दिया, जिसके द्वारा फार्मासिस्ट के 765 रिक्तियों के पद को भरने के लिए आवेदन बुलाए गए थे, उन पर केवल 1980 के नियमों के नियम 14 और 15 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके विचार किया जाना था। निश्चित रूप से, प्रासंगिक नियमों, अर्थात् 14 और 15 का पालन किए बिना और दिनांक 12.11.2007 के विज्ञापन में निहित आवश्यकताओं की अनदेखी किए बिना। फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त होने के लिए किसी भी अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के लिए खुद को समान रूप से रखे जाने का दावा करने के लिए, अर्थात, रिट याचिकाकर्ताओं के बराबर, अर्थात्, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष अपीलकर्ता और संतोष कुमार मिश्रा (ऊपर) में विशेष अनुमति याचिका में निजी प्रत्यर्थी के लिए, मुख्य रूप से उन्हें दिनांकित 12.11.2007 के विज्ञापन के जवाब में आवेदन करना चाहिए था। यदि उन्होंने उपयुक्त आवेदन दाखिल करके उक्त विज्ञापन का जवाब नहीं दिया था, तो उन्हें बाद में यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वे समान रूप से थे और इसलिए, उत्तर प्रदेश राज्य को उन्हें फार्मासिस्ट के पद के लिए विचार किए जाने के लिए विशेष अनुमति याचिका में निजी प्रत्यर्थी की तरह समान रूप से रखे गए

अभ्यर्थियों के रूप में मानना चाहिए, केवल इसलिए कि वे 1998 से 2002 के कुछ बैचों से थे।

27. इसलिए, प्रमुख सचिव, विधि के समक्ष अपना दावा पेश करने वाले 360 अभियार्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी की ओर से किए गए इस तरह के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रमुख सचिव, विधि ने अब अपनी दिनांक 27.9.2013 की रिपोर्ट में बताया है कि 360 अभियार्थियों में से कोई भी आवेदक नहीं था, उन्हें संतोष कुमार मिश्रा (सुप्रा) के समान पद वाले व्यक्तियों के रूप में मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। नतीजतन, अब हमारे सामने उठाए गए उनके दावे को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि न तो प्रमुख सचिव, विधि दिनांक 27.09.2013 की रिपोर्ट में संदर्भित उपरोक्त 360 व्यक्ति या कोई अन्य अभ्यर्थी जिसने स्वयं को 1998 से 2002 के बैच का सदस्य होने का दावा करने वाले विज्ञापन के जवाब में आवेदन नहीं किया था, संतोष कुमार मिश्रा (उपरोक्त) में निजी प्रत्यर्थी के बराबर अपने दावे पर विचार करने की मांग कर सकते हैं ताकि उक्त निर्णय में दिए गए लाभ को प्रदान करने के उनके दावे पर विचार किया जा सके।

28. एक बार जब हम अवमानना याचिका (सी) संख्या 115/2014 में आई.ए. संख्या 1-2/2014 में उक्त स्थिति से स्पष्ट हो जाते हैं, तो विचार करने के लिए एकमात्र अन्य पहलू यह है कि क्या अवमानना के लिए कोई मामला बनाया गया है जैसा कि अवमानना याचिका (सी) संख्या 115/2014 में आरोप लगाया गया है। उक्त अवमानना याचिका वर्ष 2002 के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई है। यह आरोप लगाया गया है कि संतोष कुमार **मिश्रा** (**उपरोक्त**) **मामले में** इस न्यायालय के फैसले के साथ-साथ आदेश दिनांक 29.04.2013 सहित विभिन्न अवमानना याचिकाओं में पारित बाद के आदेशों के बावजूद, प्रत्यर्थी राज्य रिक्तियों को भरने में विफल रहा है और इसलिए, वे विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 20558/2009 में पारित इस न्यायालय

के निर्णय दिनांक 03.8.2010 की अवमानना के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी हैं।

29. अवमानना याचिका (सी) संख्या 269/2012 में आई.ए. संख्या 5/2014 और अवमानना याचिका (सी) संख्या 115/2014 में आई.ए. संख्या 1-2/2014 में पारित हमारे आदेश के आलोक में, हम आश्वस्त हैं कि वर्तमान अवमानना याचिका (सी) संख्या 115/2014 में लगाया गया अवमानना का आरोप टिक नहीं सकता। इसलिए, उक्त अवमानना याचिका आई.ए. संख्या 1-2/2014 में पारित आदेश और आई.ए. संख्या 5/2014 में हमारे निर्देशों के आलोक में बंद की जाती है।

30. उत्तर प्रदेश राज्य को संतोष कुमार मिश्रा (उपरोक्त) में इस न्यायालय के दिनांक 03.08.2010 के निर्णय के अनुसार और इस निर्णय में अब किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार रिक्तियों का पता लगाने **और शेष रिक्तियों को** भरने की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। अब पारित किए गए वर्तमान आदेशों के आलोक में, हमें इस न्यायालय के दिनांकित 14.02.2014 आदेश में उल्लिखित बाकी मामलों में कोई आदेश पारित करने की कोई गुंजाइश नहीं मिलती है, जिनका निस्तारण किया गया है। तदनुसार आई.ए. का भी निस्तारण किया जाता है। कोई लागत नहीं।

देविका गुर्जर

आई.ए. और अवमानना याचिकाएं निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****